C⚡PTCL
CIN-U40108CT2003SGC015820
GST No. 22AADCC5773E1ZX
CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LTD
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
OFFICE OF CHIEF ENGINEER (HUMAN RESOURCE), RAIPUR
PHONE NO. (दूरभाष): 0771-2574700, 2574157 FAX NO. (फैक्स): 0771-2574700
Website (वेबसाइट): https://cspc.co.in Email (ईमेल): hr.csptcl@cspc.co.in

क्रमांक 01-01/पीडी-तीन/1695/ 2244 **/रायपुर, दिनांक** **06 MAY 2026**

स्पष्टीकरण

परिपत्र क्रमांक 01-01/एच.आर.-VIII/365, दिनांक 16.01.2026 के तारतम्य में पेपर/प्रोफार्मा पदोन्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों पर कार्यवाही करने के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

किसी अधिकारी या कर्मचारी की पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति, पदोन्नत किये जाने के दिनांक को, किसी विभागीय जॉच या दण्डावधि में ना रहने के अध्यधीन है। संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के उपरांत ही सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी या दिवंगत कार्मिक के नामिनी को आदेश की प्रति अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है। अग्रेषणकर्त्ता कार्यालय निम्नानुसार है:-

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी :- संबंधित कंपनी के मानव संसाधन कार्यालय
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी :- नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी का कार्यालय, जहाँ से किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम वेतन आहरित किया हो।

उपर्युक्त दर्शित कार्यालयों द्वारा पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश की प्रतिलिपि में दर्शित स्थान में निम्नानुसार अंकित कर अग्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी:-

chaturpost.com

नाम : (सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी का नाम)
पदनाम : (सेवानिवृत्त, उस पद का नाम जिस पद पर पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत हुआ हो)
कार्यालय का नाम : (जिस कार्यालय में सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम वेतन आहरित किया हो)

अग्रेषणकर्त्ता कार्यालय द्वारा ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी का रिकार्ड रखा जायेगा जिसे पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश की प्रति अग्रेषित की जाऐगी। उन प्रकरणों में आगे की कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगी:-

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के मामले में:-

संबंधित लेखा इकाई द्वारा पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश की प्रविष्टि संबंधित अधिकारी के AD-11/GRN में की जायेगी। अधिकारी को जिस दिनांक से पदोन्नत किया गया है उस दिनांक को उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा, बशर्ते उस अधिकारी के द्वारा उस पद के पे-मेट्रिक्स का उच्चवेतनमान प्राप्त ना किया गया हो। यदि उनका वेतन निर्धारण होता है तो उनका मूलवेतन, वेतन निर्धारण के दिनांक से लेकर सेवानिवृत्ति के दिनांक के मध्य, यदि कोई वार्षिक वेतनवृद्धि हो तो, तदनुसार काल्पनिक रूप से निर्धारित करते हुए, उनके सेवानिवृत्ति के दिनांक का मूलवेतन अनुज्ञात किया जायेगा और उस मूलवेतन के आधार पर पेंशन/परिवार पेंशन का गणना पत्रक निर्मित कर उसे संबंधित कंपनी के वित्त संकाय के विभाग प्रमुख कार्यालय को पुनरीक्षित पेंशन आदेश जारी करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के मामले में:-

संबंधित नियंत्रणकर्त्ता कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारी की सेवापुस्तिका में पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश की प्रविष्टि की जायेगी एवं उपर्युक्त पैरा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के मामले में उल्लिखित कार्यवाही हेतु सेवा पुस्तिका व आदेश की प्रति सहित संबंधित लेखा इकाई को प्रेषित की जायेगी।

तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नति के मामले में:-

संबंधित नियंत्रणकर्त्ता कार्यालय द्वारा पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश की प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जाएगी। कर्मचारी को जिस दिनांक से पदोन्नत किया है उस दिनांक को उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा, बशर्ते उस कर्मचारी के द्वारा उस पद के पे-मेट्रिक्स का उच्च वेतनमान प्राप्त ना किया गया हो। यदि उसका वेतन निर्धारण होता है तो वेतन निर्धारण प्रपत्र, अग्रेषित आदेश की छायाप्रति व सेवा पुस्तिका के साथ संबंधित लेखा इकाई को अंकेक्षण/सत्यापन के लिये प्रेषित किया जाएगा। संबंधित लेखा इकाई द्वारा अंकेक्षण/सत्यापन के उपरांत प्रकरण संबंधित नियंत्रणकर्त्ता कार्यालय को वापस किया जायेगा। नियंत्रणकर्त्ता कार्यालय द्वारा उस कर्मचारी के पदोन्नति के दिनांक से लेकर सेवानिवृत्ति के दिनांक के मध्य, यदि कोई वार्षिक वेतनवृद्धि हो, तो तदनुसार काल्पनिक रूप से निर्धारित करते हुए, उसके सेवानिवृत्ति के दिनांक का मूलवेतन अनुज्ञात किया जायेगा और उस मूलवेतन के आधार पर पेंशन/परिवार पेंशन का गणना पत्रक निर्मित कर उसे संबंधित कंपनी के वित्त संकाय के विभाग प्रमुख कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

chaturpost.com

वेतन/पेंशन/परिवार पेंशन निर्धारण:-

यदि किसी कार्मिक को एक या दो या उससे अधिक उच्च पदों पर पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत किया गया हो तो उस कार्मिक का एक या दो या तीन बार, जैसा भी मामला हो, मूलवेतन, का निर्धारण किया जाएगा, बशर्ते उसने उस पद का उच्चवेतनमान प्राप्त ना किया हो। तदनुसार कार्मिक के सेवानिवृत्ति के दिनांक का मूलवेतन ज्ञात किया जाएगा और पेंशन/परिवार पेंशन निर्धारित की जाएगी। पूर्व में सेवानिवृत्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन/परिवार पेंशन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 27.03.2026 उदाहरण सहित जारी कर दिया गया है। तथापि पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत कार्मिकों के पेंशन/परिवार पेंशन निर्धारण के संबंध में उदाहरण निम्नानुसार है:-

उदाहरण-एक (सामान्य स्थिति में):-

यदि कोई कार्मिक मार्च 2024 में कार्यालय सहायक श्रेणी-एक के पे-मेट्रिक्स एस-7, ₹ 32,200-1,12,200 में मूलवेतन ₹ 62,000 पर कार्य कर रहे थे और दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुए है। उनकी प्रोफार्मा/पेपर पदोन्नति आदेश दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से दिनांक 01.03.2024 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पे-मेट्रिक्स एस-9, ₹ 40,500-1,32,000 पर होती है, तो पदोन्नति पर दिनांक 01.03.2024 से वेतन निर्धारण के लिये, पूर्व पे-मेट्रिक्स एस-7, ₹ 32,200-1,12,200 में आहरित कर रहे मूलवेतन ₹ 62,000 का तीन प्रतिशत के मान से, निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में यथा ₹ 1900 जोड़कर, ₹ 63,900 काल्पनिक मूलवेतन ज्ञात किया जायेगा और पे-मेट्रिक्स एस-9, के प्रक्रम (Scale) में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में राशि ₹ 65,000 मूलवेतन निर्धारित होगा। कार्मिक की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.03.2025 होगी। सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2025 को निर्धारित मूलवेतन राशि ₹ 65,000 का 50 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 32,500 पेंशन एवं 30 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 19,500 परिवार पेंशन निर्धारित होगी।उपर्युक्तगणना काल्पनिक रूप से की जाएगी एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक 10.02.2026 से पुनरीक्षित पेंशन या परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ दिया जाएगा।

उदाहरण-दो (सामान्य स्थिति में, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए) -

यदि कोई कार्मिक मार्च 2024 में कार्यालय सहायक श्रेणी-एक के पे-मेट्रिक्स एस-7, ₹ 32,200-1,12,200 में मूलवेतन ₹ 62,000 पर कार्य कर रहे थे और दिनांक 31.05.2025 को सेवानिवृत्त हुए है। उनकी प्रोफार्मा/पेपर पदोन्नति आदेश दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से दिनांक 01.03.2024 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पे-मेट्रिक्स एस-9, ₹ 40,500-1,32,000 पर होती है, तो पदोन्नति पर दिनांक

01.03.2024 से वेतन निर्धारण के लिये, पूर्व पे-मेट्रिक्स एस-7, ₹ 32,200-1,12,200 में आहरित कर रहे मूलवेतन ₹ 62,000 का तीन प्रतिशत के मान से, निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में यथा ₹ 1900 जोड़कर, ₹ 63,900 काल्पनिक मूलवेतन ज्ञात किया जायेगा और पे-मेट्रिक्स एस-9, के प्रक्रम (Scale) में कल्पित मूलवेतन के बराबर या अगले निकटतम उपरी प्रक्रम में राशि ₹ 65,000 मूलवेतन निर्धारित होगा। कार्मिक की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.03.2025 होगी। तदनुसार कार्मिक को दिनांक 01.03.2025 को काल्पनिक वेतन वृद्धि देते हुए मूलवेतन की राशि ₹ 67,000 निर्धारित होगी। सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2025 को निर्धारित मूलवेतन राशि ₹ 67,000 का 50 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 33,500 पेंशन एवं 30 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 20,100 परिवार पेंशन निर्धारित होगी। उपर्युक्त गणना काल्पनिक रूप से की जाएगी एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक 10.02.2026 से पुनरीक्षित पेंशन या परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ दिया जाएगा।

उदाहरण-तीन (निम्न वेतनमान के अधिकतम पर मूलवेतन आहरित करने पर) -

यदि कोई कार्मिक मार्च 2024 में कार्यालय सहायक श्रेणी-एक के पे-मेट्रिक्स एस-7, ₹ 32,200-1,12,200 में मूलवेतन ₹ 1,12,200 पर कार्य कर रहे थे और दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुए है, उनकी प्रोफार्मा/पेपर पदोन्नति आदेश दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से दिनांक 01.03.2024 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पे-मेट्रिक्स एस-9, ₹ 40,500-1,32,000 पर होती है, तो पदोन्नति पर दिनांक 01.03.2024 से वेतन निर्धारण के लिए पूर्व पे-मेट्रिक्स एस-7, ₹ 32,200-1,12,200 में मूलवेतन ₹ 1,12,200 का तीन प्रतिशत के निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में यथा ₹ 3,400 जोड़कर, ₹ 1,15,600 काल्पनिक मूलवेतन ज्ञात किया जायेगा और पे-मेट्रिक्स एस-9, ₹ 40,500-1,32,000 के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में राशि ₹ 1,17,400 पर मूलवेतन निर्धारित होगा। कार्मिक की आगामी वेतनवृद्धि की तिथि 01.03.2025 होगी। सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2025 को निर्धारित मूलवेतन राशि ₹ 1,17,400/- का 50 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 58,700/- पेंशन एवं 30 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 35,220/- परिवार पेंशन निर्धारित होगी। उपर्युक्त गणना काल्पनिक रूप से की जाएगी एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक 10.02.2026 से पुनरीक्षित पेंशन या परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ दिया जाएगा।

chaturpost.com

उदाहरण-चार (निम्न वेतनमान में एक गतिरोध भत्ता आहरित करने पर) -

यदि कोई कार्मिक मार्च 2024 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पे-मेट्रिक्स ओ-4, ₹ 100800-204700 में अधिकतम राशि ₹ 204700 का तीन प्रतिशत के निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में, एक गतिरोध भत्ता प्राप्त कर मूलवेतन ₹ 204700 + 6100 (मूलवेतन + गतिरोध भत्ता) पर कार्य कर रहे थे और दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुए है, उनकी प्रोफार्मा/पेपर पदोन्नति आदेश दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से दिनांक 01.03.2024 से मुख्य अभियंता के पद पर पे-मेट्रिक्स ओ-5, ₹ 108200-213400 में होती है तो पदोन्नति पर दिनांक 01.03.2024 से वेतन निर्धारण के लिये, पूर्व पे-मेट्रिक्स ओ-4 के मूलवेतन ₹ 2,04,700 का तीन प्रतिशत के निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में यथा ₹ 6100 जोड़कर, 204700 + 6100 + 6100 (मूलवेतन + गतिरोध भत्ता + काल्पनिक वेतन वृद्धि) ₹ 2,16,900 काल्पनिक मूलवेतन ज्ञात किया जायेगा और पे-मेट्रिक्स ओ-5 के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन ₹ 2,16,900 के बराबर या निकटतम उपरी प्रकम में मूलवेतन निर्धारित किया जाना है, किन्तु पे-मेट्रिक्स ओ-5 के प्रक्रम का अधिकतम प्रक्रम ₹ 2,13,400 है, अतः मूलवेतन ₹ 2,13,400 पर निर्धारित किया जायेगा एवं अंतर की राशि (2,16,900 – 2,13,400) ₹ 3,500 व्यक्तिगत वेतन के रूप में निर्धारित की जायेगी। इस व्यक्तिगत वेतन की राशि में समस्त प्रयोज्य भत्ते भी देय होंगे। उनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.03.2025 होगी। दिनांक 31.01.2025 को निर्धारित मूलवेतन राशि ₹ 2,13,400 + 3,500 कुल राशि ₹ 216900 के 50 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 1,08,450 पेंशन एवं 30 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 65,070 परिवार पेंशन निर्धारित होगी। उपर्युक्त गणना काल्पनिक रूप से की जाएगी एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक 10.02.2026 से पुनरीक्षित पेंशन या परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ दिया जाएगा।

उदाहरण-पाँच (काल्पनिक वेतन उच्च वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा होने पर) -

यदि कोई कार्मिक मार्च 2023 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पे-मेट्रिक्स ओ-4, ₹ 100800-204700 में अधिकतम राशि ₹ 2,04,700 का तीन प्रतिशत के निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में, तीन गतिरोध भत्ता प्राप्त कर मूलवेतन ₹ 2,04,700 + 18,300 (मूलवेतन + गतिरोध भत्ता) पर कार्य कर रहे थे और दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुए है। उनकी प्रोफार्मा/पेपर पदोन्नति आदेश दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से दिनांक 01.03.2023 से मुख्य अभियंता के पद पर पे-मेट्रिक्स ओ-5, ₹ 108200-213400 में होती है तो पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिये, पूर्व पे-मेट्रिक्स ओ-4 के मूलवेतन ₹ 2,04,700 का तीन प्रतिशत के निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में यथा ₹ 6,100 जोड़कर, 204700 + 18300 + 6100 (मूलवेतन + गतिरोध भत्ता + काल्पनिक वेतन वृद्धि) ₹ 2,29,100 काल्पनिक मूलवेतन ज्ञात किया जायेगा और पे-मेट्रिक्स ओ-5 के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में मूलवेतन निर्धारित किया जाना है, किन्तु पे-मेट्रिक्स ओ-5 के प्रक्रम का अधिकतम प्रक्रम ₹ 2,13,400 है, अतः मूलवेतन ₹ 2,13,400 पर निर्धारित किया जायेगा एवं अंतर की राशि (229100 - 213400) ₹ 15,700 व्यक्तिगत वेतन के रूप में निर्धारित की जायेगी। इस व्यक्तिगत वेतन की राशि में समस्त प्रयोज्य भत्ते भी देय होंगे। आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.03.2024 होगी। पे-मेट्रिक्स ओ-5, ₹ 1,08,200-2,13,400 में एक वर्ष के पश्चात दिनांक 01.03.2024 को प्रक्रम की अधिकतम राशि ₹ 2,13,400 का तीन प्रतिशत के निकटतम सौ रूपये के पूर्णांक (Round off) में यथा ₹ 6,400 एक गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने पर व्यक्तिगत वेतन की राशि ₹ 15,700 में राशि ₹ 6,400 समायोजित कर ₹ 2,13,400 + 6,400 + 9,300 (मूलवेतन + गतिरोध भत्ता + व्यक्तिगत वेतन) मूलवेतन निर्धारित होगा। सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2025 को निर्धारित मूलवेतन राशि ₹ 2,13,400 + 6,400 + 9,300 के 50 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 1,14,550 या अधिकतम पेंशन की राशि ₹ 1,11,900 में जो कम हो अर्थात पेंशन की राशि ₹ 1,11,900 निर्धारित होगी एवं 30 प्रतिशत के मान से राशि ₹ 67,140 परिवार पेंशन निर्धारित होगी। उपर्युक्त गणना काल्पनिक रूप से की जाएगी एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक 10.02.2026 से पुनरीक्षित पेंशन या परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ दिया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत किसी भी सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक को अर्जित अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, व्यवस्थापन भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये विकल्प चयन, स्टेपिंग अप, उच्च वेतनमान री-ओपन, आदि की पात्रता नहीं है। केवल पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ, यदि कोई हो तो, देय होगा।

chaturpost.com

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर

प्रतिलिपिः-

1. कार्यपालक निदेशक ( ) छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...
2. मुख्य अभियंता ( ) छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...
3. महाप्रबंधक (वित्त), छ.स्टे.पॉ .... कं.लिमि., ...
4. अधीक्षण अभियंता ( ) छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...
5. कार्यपालन अभियंता ( ) छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...
6. उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/मा.सं.) छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...
7. क्षेत्रीय लेखाधिकारी/प्रबंधक (के.ले.ई.) छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...
8. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक, छ.स्टे.पॉ. .... कं.लिमि., ...

- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उदाहरण-एक तालिका के रूप में (सामान्य स्थिति में)

1	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन का दिनांक	31.01.2025
2	पदोन्नति के पूर्व धारित पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	कार्यालय सहायक श्रेणी-एक
	(ख) पे-मेट्रिक्स	एस-7, ₹ 32,200-1,12,200
	(ग) पदोन्नति के दिनांक 01.03.2024 को मूलवेतन	₹ 62,000
3	पदोन्नत पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
	(ख) पे-मेट्रिक्स	एस-9, ₹ 40,500-1,32,000
4	वेतन का निर्धारण दिनांक 01.03.2024 को	
	(क) पूर्व पे-मेट्रिक्स	एस-7, ₹ 32,200-1,12,200
	(ख) पूर्व पे-मेट्रिक्स में मूलवेतन ₹ 62,000 में 3 प्रतिशत के मान से राशि जोड़ने पर कल्पित मूलवेतन	₹ 62,000 + 1,900 = ₹ 63,900
	(ग) पदोन्नत पद के पे-मेट्रिक्स के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में मूलवेतन का निर्धारण	₹ 65,000
5	वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक 01.03.2025	दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण लागू नहीं
6	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन के दिनांक 31.01.2025 को मूलवेतन	₹ 65,000
7	राशि ₹ 65,000 के 50 प्रतिशत के मान से पेंशन	₹ 32,500
8	राशि ₹ 65,000 के 30 प्रतिशत के मान से परिवार पेंशन	₹ 19,500
9	पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ	दिनांक 10.02.2026 से

chaturpost.com

उदाहरण-दो तालिका के रूप में (सामान्य स्थिति में वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए)

1	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन का दिनांक	31.05.2025
2	पदोन्नति के पूर्व धारित पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	कार्यालय सहायक श्रेणी-एक
	(ख) पे-मेट्रिक्स	एस-7, ₹ 32,200-1,12,200
	(ग) पदोन्नति के दिनांक 01.03.2024 को मूलवेतन	₹ 62,000
3	पदोन्नत पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
	(ख) पे-मेट्रिक्स	एस-9, ₹ 40,500-1,32,000
4	वेतन का निर्धारण दिनांक 01.03.2024 को -	
	(क) पूर्व पे-मेट्रिक्स	एस-7, ₹ 32,200-1,12,200
	(ख) पूर्व पे-मेट्रिक्स में मूलवेतन ₹ 62,000 में 3 प्रतिशत के मान से राशि जोड़ने पर कल्पित मूलवेतन	₹ 62,000 + 1,900 = ₹ 63,900
	(ग) पदोन्नत पद के पे-मेट्रिक्स के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में मूलवेतन का निर्धारण	₹ 65,000
5	वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक 01.03.2025 को मूलवेतन	₹ 67,000
6	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन के दिनांक 31.05.2025 को मूलवेतन	₹ 67,000
7	राशि ₹ 67,000 के 50 प्रतिशत के मान से पेंशन	₹ 33,500
8	राशि ₹ 67,000 के 30 प्रतिशत के मान से परिवार पेंशन	₹ 20,100
9	पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ	दिनांक 10.02.2026 से

उदाहरण-तीन तालिका के रूप में (निम्न वेतनमान के अधिकतम पर मूलवेतन आहरित करने पर)

1	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन का दिनांक	31.01.2025
2	पदोन्नति के पूर्व धारित पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	कार्यालय सहायक श्रेणी-एक
	(ख) पे-मेट्रिक्स	एस-7, ₹ 32,200-1,12,200
	(ग) पदोन्नति के दिनांक 01.03.2024 को मूलवेतन	1,12,200
3	पदोन्नत पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
	(ख) पे-मेट्रिक्स	एस-9, ₹ 40,500-1,32,000
4	वेतन का निर्धारण दिनांक 01.03.2024 को -	
	(क) पूर्व पे-मेट्रिक्स	एस-7, ₹ 32,200-1,12,200
	(ख) पूर्व पे-मेट्रिक्स में मूलवेतन ₹ 1,12,200 में 3 प्रतिशत के मान से राशि जोड़ने पर कल्पित मूलवेतन	₹ 1,12,200 + 3,400 = ₹ 1,15,600
	(ग) पदोन्नत पद के पे-मेट्रिक्स के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में मूलवेतन का निर्धारण	₹ 1,17,400
5	वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक 01.03.2025	दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण लागू नहीं
6	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन के दिनांक 31.01.2025 को मूलवेतन	₹ 1,17,400
7	राशि ₹ 1,17,400 के 50 प्रतिशत के मान से पेंशन	₹ 58,700
8	राशि ₹ 1,17,400 के 30 प्रतिशत के मान से परिवार पेंशन	₹ 35,220
9	पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ	दिनांक 10.02.2026 से

chaturpost.com

उदाहरण-चार तालिका के रूप में (निम्न वेतनमान में एक गतिरोध भत्ता आहरित करने पर)

1	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन का दिनांक	31.01.2025
2	पदोन्नति के पूर्व धारित पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	अतिरिक्त मुख्य अभियंता
	(ख) पे-मेट्रिक्स	ओ-4, ₹ 1,00,800-2,04,700
	(ग) पदोन्नति के दिनांक 01.03.2024 को मूलवेतन	₹ 2,04,700 + 6,100 (गतिरोध भत्ता)
3	पदोन्नत पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	मुख्य अभियंता
	(ख) पे-मेट्रिक्स	ओ-5, ₹ 1,08,200-2,13,400
4	वेतन का निर्धारण दिनांक 01.03.2024 को -	
	(क) पूर्व पे-मेट्रिक्स	ओ-4, ₹ 1,00,800-2,04,700
	(ख) पूर्व पे-मेट्रिक्स में मूलवेतन ₹ 2,04,700 में 3 प्रतिशत के मान से राशि जोड़ने पर कल्पित मूलवेतन	₹ 2,04,700 + 6,100 + 6,100 = ₹ 2,16,900
	(ग) पदोन्नत पद के पे-मेट्रिक्स के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में मूलवेतन का निर्धारण	₹ 2,13,400 + 3,500 (व्यक्तिगत वेतन)
5	वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक 01.03.2025	दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण लागू नहीं
6	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन के दिनांक 31.01.2025 को मूलवेतन	₹ 2,13,400 + 3,500 (व्यक्तिगत वेतन) = ₹ 2,16,900
7	राशि ₹ 2,16,900 के 50 प्रतिशत के मान से पेंशन	₹ 1,08,450
8	राशि ₹ 2,16,900 के 30 प्रतिशत के मान से परिवार पेंशन	₹ 65,070
9	पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ	दिनांक 10.02.2026 से

chaturpost.com

उदाहरण-पॉच तालिका के रूप में (काल्पनिक वेतन उच्चवेतनमान के अधिकतम से ज्यादा होने पर)

1	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन का दिनांक	31.01.2025
2	पदोन्नति के पूर्व धारित पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	अतिरिक्त मुख्य अभियंता
	(ख) पे-मेट्रिक्स	ओ-4, ₹ 1,00,800-2,04,700
	(ग) पदोन्नति के दिनांक 01.03.2023 को मूलवेतन	2,04,700 + 18,300 (गतिरोध भत्ता)
3	पदोन्नत पद की जानकारी	
	(क) पद का नाम	मुख्य अभियंता
	(ख) पे-मेट्रिक्स	ओ-5, ₹ 1,08,200-2,13,400
4	वेतन का निर्धारण दिनांक 01.03.2023 को -	
	(क) पूर्व पे-मेट्रिक्स	ओ-4, ₹ 1,00,800-2,04,700
	(ख) पूर्व पे-मेट्रिक्स में मूलवेतन ₹ 2,04,700 में 3 प्रतिशत के मान से राशि जोड़ने पर कल्पित मूलवेतन	₹ 2,04,700 + 18,300 + 6,100 = ₹ 2,29,100
	(ग) पदोन्नत पद के पे-मेट्रिक्स के प्रक्रम में कल्पित मूलवेतन के बराबर या निकटतम उपरी प्रक्रम में मूलवेतन का निर्धारण	₹ 2,13,400 + 15,700 (व्यक्तिगत वेतन)
5	वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक 01.03.2024	₹ 2,13,400 + 6,400 (गतिरोध भत्ता) + 9,300 (व्यक्तिगत वेतन)
6	सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन के दिनांक 31.01.2025 को मूलवेतन	₹ 2,13,400 + 6,400 (गतिरोध भत्ता) + 9,300 (व्यक्तिगत वेतन) कुल ₹ 2,29,100
7	राशि ₹ 2,29,100 के 50 प्रतिशत के मान से पेंशन ₹ 1,14,550 या अधिकतम ₹1,11,900 में जो कम हो	₹ 1,11,900
8	राशि ₹ 2,29,100 के 30 प्रतिशत के मान से परिवार पेंशन ₹ 68,730 या अधिकतम ₹ 67,140 मे जो कम हो	₹ 67,140
9	पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का वास्तविक लाभ	दिनांक 10.02.2026 से

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. **क्या पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त सेवानिवृत्त कार्मिकों से उपस्थिति प्रतिवेदन लिया जाना है ?**

   पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से है। अतः किसी भी सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्मिक से उपस्थिति प्रतिवेदन आवश्यक नहीं है।

2. **क्या पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक के सेवा अभिलेखों में पदोन्नति आदेश व अन्य कार्यवाही की प्रविष्टि या इंद्राज किया जाना है ?**

   वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप, संबंधित कंपनी के वित्त विभाग एवं मानव संसाधन विभाग द्वारा उनके सेवा अभिलेखों में समस्त प्रविष्टियाँ इंद्राज की जावेगी।

3. **क्या वेतन निर्धारण के लिये सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवेदन लिया जाना है ?**

   आवश्यकता नहीं है, बल्कि संपूर्ण कार्यवाही स्वस्फूर्त, सुव्यवस्थित एवं सुगमतापूर्वक वित्त विभाग द्वारा किया जाना है।

4. **क्या पेपर/प्रोफार्मा पदोन्त सेवानिवृत्त दिवंगत कार्मिक का वेतन निर्धारण किया जाना है ?**

   पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक ने यदि पदोन्त पद का उच्चवेतनमान प्राप्त नहीं किया है तो उनका नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा।

5. **क्या पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत सेवानिवृत्त कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय होगी ?**

   यदि किसी सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक का वेतन निर्धारण होता हो और वेतन निर्धारण के एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, के पूर्व वह सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या दिवंगत ना हुआ हो तो ऐसे कार्मिक को नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

6. **पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत कार्मिक को कौन से सेवावृित्ति के लाभ की पात्रता है ?**

   पेपर/प्रोफार्मा पदोन्नत किसी भी सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक को कार्मिक को केवल जिनका वेतनमान संशोधित होगा उनके पेंशन एवं परिवार पेंशन का संशोधन होगा, किन्तु अर्जित अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, व्यवस्थापन भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये विकल्प चयन, स्टेपिंग अप, उच्च वेतनमान री-ओपन, आदि की पात्रता नहीं होगी।